भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **420**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 3 फरवरी, 2023/14 माघ, 1944 (शक) को दिया जाना है।

नैनो यूरिया (तरल) का उपयोग

420. श्री श्याम सिंह यादव:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास उत्तर प्रदेश, विशेषकर जौनपुर में पारंपरिक यूरिया की जगह तरल नैनो यूरिया के उपयोग के पश्चात् किसानों की आय में सुधार दर्शाने वाला कोई आंकड़ा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि नैनो यूरिया का परीक्षण अनुमोदन हेतु अपेक्षित समय से जल्दी किया गया था, जिसने परीक्षण हेतु पारंपरिक मानदंडों का उल्लंघन किया, जबकि आईसीएआर द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन हेतु तीन सत्रों की आवश्यकता होती है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(भगवंत खुबा)

(क) और (ख): अभी तक इस प्रकार का कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार द्वितीय शीर्ष ड्रेसिंग के लिए नैनो तरल यूरिया के प्रयोग ने फसल पर अनुकूल प्रभाव दर्शाया है।

(ग) और (घ): उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 में नया उर्वरक शामिल करने के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयूज) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) संस्थानों में एक ही मौसम में बहु-स्थानिक परीक्षण किये जाने अपेक्षित होते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू) ने उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 में नैनो नाइट्रोजन उर्वरकों के रूप में नैनो यूरिया को उपर्युक्त निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार तीन वर्ष की अवधि के लिए अनंतिम रूप से अधिसूचित किया है।

****